



TEN RUPEES

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

ठिग - 1403- F-16

न्यायालय साजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, न्यायालियर कैम्प जबलपुर

- 1 -

साजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला जबलपुर

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

मनोज बरकड़े उम्र 26 वर्ष

पिता श्री सुखलाल बरकड़े

निवासी 59, ग्राम टीगन तहसील व जिला

जबलपुर म0प्र0

विरुद्ध

1- श्री दोहित तिवारी उम्र 37 वर्ष

पिता श्री प्रमोद तिवारी

निवासी शास्त्री नगर, क्रिपुरी वार्ड,

जबलपुर म0प्र0

2- म0प्र0 शास्त्र द्वारा

कलेक्टर, जिला जबलपुर

दिवीजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.टा. संहिता, 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक क्रमांक 8/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 से व्यक्तित्व होकर निम्न वर्णित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की गई है :-

दिवीजन के तथ्य

- यहांकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपार्क किए जाने योग्य है।
- यहांकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की आम

४४/८

**XXXIX(a)BR(H)-11**

**राजस्थ मण्डल, मध्यप्रदेश, व्यालियर**

प्रकरण क्रमांक निग0 1403-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आवेदन	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्तांक
4-5-16	<p>यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 25-4-16 के विलुप्त मण्ड० भू-दाजस्थ संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिकता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं उनकी ओर से की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ ब्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक मनोज बरकड़े पिता श्री सुखलाल बरकड़े द्वारा अधीनस्थ ब्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिकार्य की ग्राम पिपरिया प.ह.नं. 41 स.नि.नं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर दियत भूमि खसरा नं. 385 रक्षा 1.00 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री दीहित तिवारी पिता श्री प्रमोद तिवारी को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा विवित जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपर्यांत भूमि विक्रय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपर्यांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष शीघ्र सुनवाई कर अनुमति देने हेतु आवेदन पेश किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है ।</p>	

५८

८८

नियम - १५०३-१/१६

-3-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रशंसकारी एवं अधिकारीकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>कलेक्टर के इस आदेश के विरुद्ध यह निम्नानी पेश की गई है। आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पर बैंक का अण बकाया है, इस कारण उसे चुकाने हेतु शीघ्र सुनवाई का आवेदन दिया गया है प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के कारण उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रकरण का नियाकरण यथाशीघ्र करने का अनुदोष किया गया था ऐसी स्थिति में कलेक्टर को प्रकरण का नियाकरण गुणदोषों पर करना चाहिए था उनके द्वारा ऐसा न करते हुए प्रकरण में 3 माह आगे की तिथि नियत करदी है जो व्यायोचित नहीं है। दर्शित परिस्थिति में इस व्यायालय द्वारा ही उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का नियाकरण गुणदोष पर करते हुए उन्हें आवेदित भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। मेरे द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं, बायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अव्यादतावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इक्षतहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इक्षतहार पर कोई आक्षेप नहीं आया। प्रछन्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, ग्राम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि क्य करना नहीं चाहते। भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा। उक्त भूमि विक्रय के उपर्यांत आवेदक के पास 4.360 हैक्टर भूमि ग्राम चंदेरी में में शेष बचती है। अतः प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पिपरिया पहुँच, 41 रानी बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 385 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।</p> <p>1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चारू वर्ष की गाड़ लाइन की दर से</p>	

(M)

ग्रा.

**XXXIX(a)BR(H)-11**

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, व्यालियर**

प्रकरण क्रमांक      निग0 1403-एक/16

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पश्चाद्दृष्टि पर्याप्तता करने आदि के हलाकार
	<p>भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।</p> <p>2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की सांशि ( पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम सांशि को कम करके ) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।</p> <p>3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।</p> <p>निगरानी तदनुसार नियाकृत की जाती है । पक्षकार सुचित हों ।</p> <p><i>[Signature]</i> सदरमुख</p>	